रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-11032025-261546
CG-DL-E-11032025-261546

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1105] नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च 11, 2025/फाल्गुन 20, 1946
No. 1105] NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 11, 2025/PHALGUNA 20, 1946

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 मार्च, 2025

का.आ. 1114(अ).— मसरूर अब्बास अंसारी की अध्यक्षता वाली जम्मू और कश्मीर इत्तिहादुल मुस्लिमीन (जिसे इसमें इसके पश्चात् जेकेआईएम कहा गया है) विधिविरुद्ध क्रियाकलापों में लिप्त है, जो कि देश की अखंडता, संप्रभुता और सुरक्षा के लिए हानिकारक है;

और, जेकेआईएम के सदस्य जम्मू और कश्मीर में अलगाववाद को बढ़ावा देने के लिए आतंकवादी क्रियाकलापों और भारत विरोधी प्रचार का समर्थन करने में शामिल रहे हैं;

और, जेकेआईएम के नेता और सदस्य जम्मू और कश्मीर में अलगाववादी, पृथकतावादी और आतंकवादी क्रियाकलापों का समर्थन करने सहित विधिविरुद्ध क्रियाकलापों को अंजाम देने के लिए धन जुटाने में शामिल रहे हैं;

और, जेकेआईएम और इसके सदस्य अपने क्रियाकलापों से देश के संवैधानिक प्राधिकार और संवैधानिक व्यवस्था के प्रति घोर अनादर दर्शाते हैं;

और, जेकेआईएम राष्ट्र विरोधी और विध्वंसक क्रियाकलापों में शामिल होकर भारत से जम्मू और कश्मीर के अलगाव को बढ़ावा देने और सहायता करने; लोगों में असंतोष के बीज बोने; लोगों को विधि और व्यवस्था को अस्थिर

करने के लिए उकसाने; जम्मू और कश्मीर को भारत संघ से अलग करने के लिए हथियारों के इस्तेमाल को प्रोत्साहित करने और स्थापित सरकार के विरुद्ध नफरत को बढ़ावा देने में, शामिल है;

और, केंद्रीय सरकार की यह राय है कि यदि जम्मू और कश्मीर इत्तिहादुल मुस्लिमीन (जेकेआईएम) की विधिविरुद्ध क्रियाकलापों पर तत्काल अंकुश या नियंत्रण नहीं किया जाता है, तो वह इस अवसर का उपयोग निम्नलिखित के लिए करेगा –

(i) राष्ट्र विरोधी क्रियाकलापों को जारी रखने, जो देश की क्षेत्रीय अखंडता, सुरक्षा और संप्रभुता के लिए हानिकारक हैं;

(ii) भारत संघ में जम्मू और कश्मीर के अधिमिलन पर विवाद करते हुए इसको भारत संघ से पृथक करने का समर्थन जारी रखने; और

(iii) भारत के विरुद्ध असंतोष पैदा करने और लोक व्यवस्था को बाधित करने के आशय से जम्मू और कश्मीर के लोगों के बीच मिथ्या कथन और राष्ट्र विरोधी भावनाओं का प्रचार जारी रखने;

और, उपर्युक्त कारणों से केंद्रीय सरकार का दृढ़ मत है कि जम्मू और कश्मीर इत्तिहादुल मुस्लिमीन (जेकेआईएम) के क्रियाकलापों को देखते हुए, जम्मू और कश्मीर इत्तिहादुल मुस्लिमीन (जेकेआईएम) को तत्काल प्रभाव से एक 'विधिविरुद्ध संगम' घोषित करना आवश्यक है;

अतः अब, केंद्रीय सरकार विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 (1967 का 37) की धारा 3 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जम्मू और कश्मीर इत्तिहादुल मुस्लिमीन (जेकेआईएम) को विधिविरुद्ध संगम घोषित करती है;

उपर्युक्त परिस्थितियों को देखते हुए, केंद्रीय सरकार का दृढ़ मत है कि जम्मू और कश्मीर इत्तिहादुल मुस्लिमीन (जेकेआईएम) को तत्काल प्रभाव से एक 'विधिविरुद्ध संगम' घोषित करना आवश्यक है, और तदनुसार, केंद्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (3) के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निदेश देती है कि यह अधिसूचना, उक्त अधिनियम की धारा 4 के अधीन किए जा सकने वाले किसी आदेश के अधीन, राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से पांच वर्ष की अवधि के लिए प्रभावी रहेगी।

[फा. सं. 14017/1/2025-एनआई-एमएफओ]

अभिजीत सिन्हा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 11th March, 2025

S.O. 1114(E).— Whereas, the Jammu and Kashmir Ittihadul Muslimeen (hereinafter referred to as the JKIM), chaired by Masroor Abbas Ansari is indulging in unlawful activities, which are prejudicial to the integrity, sovereignty and security of the country;

And, whereas, members of the JKIM have remained involved in supporting terrorist activities and anti-India propaganda for fuelling secessionism in Jammu and Kashmir;

And, whereas, the leaders and members of JKIM have been involved in mobilising funds for perpetrating unlawful activities, including supporting secessionist, separatist and terrorist activities in Jammu and Kashmir;

And, whereas, the JKIM and its members by their activities show sheer disrespect towards the constitutional authority and constitutional set up of the country;

And whereas, JKIM is involved in promoting and aiding the secession of Jammu and Kashmir from India by indulging in anti-national and subversive activities; sowing seeds of discontent among the people; inciting people to

destabilise law and order; encouraging the use of arms to cause secession of Jammu and Kashmir from the Union of India and promoting hatred against the established Government;

And, whereas, the Central Government is of the opinion that if there is no immediate curb or control of unlawful activities of the Jammu and Kashmir Ittihadul Muslimeen (JKIM), it will use this opportunity to –

(i) continue with the anti-national activities which are detrimental to the territorial integrity, security and sovereignty of the country;

(ii) continue advocating the secession of Jammu and Kashmir from the Union of India while disputing its accession to the Union of India; and

(iii) continue propagating false narrative and anti-national sentiments among the people of Jammu and Kashmir with the intention to cause disaffection against India and disrupt public order;

And, whereas, the Central Government for the above mentioned reasons is firmly of the opinion that having regard to the activities of the Jammu and Kashmir Ittihadul Muslimeen (JKIM), it is necessary to declare the Jammu and Kashmir Ittihadul Muslimeen (JKIM) as an unlawful association with immediate effect;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 (37 of 1967), the Central Government hereby declares the Jammu and Kashmir Ittihadul Muslimeen (JKIM) as an unlawful association.

The Central Government, having regard to the above circumstances, is of firm opinion that it is necessary to declare the Jammu and Kashmir Ittihadul Muslimeen (JKIM) as an unlawful association with immediate effect, and accordingly, in exercise of the powers conferred by the proviso to sub-section (3) of section 3 of the said Act, the Central Government hereby directs that this notification shall, subject to any order that may be made under section 4 of the said Act, have effect for a period of five years from the date of its publication in the Official Gazette.

[F. No. 14017/1/2025/NI-MFO]

ABHIJIT SINHA, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

GORAKHA NATH YADAVA Digitally signed by GORAKHA NATH YADAVA Date: 2025.03.11 16:30:52 +05'30'